15/6/17 आज यह पत्रावली केस कोई पत्रावली में मूल वाद के साथ दिये हुई प्रार्थना पत्र का मूल वाद निर्णय हेतु वाहिर अब नहीं प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा मुझसे किया जाता है वाहिर पत्रावली नस्ता करके हाजा वाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय कैफियत में लिखाया जाता मूल वाद के साथ सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner